कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23/179-87 दिनांक : 21-09-2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक–मुख्यालय

विषय :– विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2022–23 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर **नई ऑटो प्रणाली** प्रकिया के तहत पूर्व मैट्रिक प्रभारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन अग्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सत्र 2022–23 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नई ऑटो प्रणाली के तहत विद्यार्थियों से छात्रवृति योजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त नही किये जाने है अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से **संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने है जिसकी तिथि निम्नानुसार है :–**

क्र.सं.	विवरण	अंतिम तिथि
(अ)	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपडेट पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	10.10.2022

समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन ऑटो प्रोसेस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट education.rajasthan.gov.in /secondaryके Scholarship Tab एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है। अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन नई ऑटो प्रणाली की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर ऑटो प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

- **कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज के अन्दर प्री–मैट्रिक छात्रवृति इंचार्ज बनाया जाना है।**
- **संस्था प्रधान को शालादर्पण में विद्यार्थी टेब के अन्तर्गत "लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" को योजना की आवश्यकता अनुसार पूर्ण किया जाना है।**
- **यदि विद्यालय छात्रवृति प्रभारी ने किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार नहीं किया और उसे अस्वीकार भी नहीं किया तो किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः पात्र कर देगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।**
- **यदि आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समयावधि में डीईओ द्वारा अनुमोदित/सत्यापित नहीं किया जाता है, तो इन आवेदकों को सिस्टम द्वारा स्वतः अनुमोदित किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी।**

इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संबंधित राजकीय नोडल विद्यालय द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेगें। समस्त संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

संलग्न : विभिन्न पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु दिशानिर्देश व युजर मैन्यूल

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि अग्राकिंत का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से नई ऑटो प्रणाली से शालादर्पण पोर्टल पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करवायें।

2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर, को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से नई ऑटो प्रणाली से शालादर्पण पोर्टल पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करवायें।
3. उप शासन सचिव शिक्षा,(ग्रुप–1) व उपशासन सचिव शिक्षा, (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेज कर निवेदन है कि उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्तियों हेतु नई ऑटो प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल टेब आरंभ करवाकर प्रभावी मोनिटरिंग करवायें।
6. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को अपने अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधानों को समय पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर नई ऑटो प्रणाली द्वारा छात्रवृति आवेदन हेतु पाबन्द करते हुए प्रभावी मॉनेटरिंग करने बाबत्।
7. शालादर्पण प्रकोष्ठ, उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ।
8. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशन बाबत्।
9. सहायक निदेशक मोनिटरिंग अनुभाग को प्रभावी प्रबोधनार्थ।
10. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

दिशा–निर्देश

सत्र 2022–23 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में एवं राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से नई ऑटो प्रणाली के तहत शाला दर्पण पोर्टल के **स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल** के माध्यम से प्रस्ताव लिये जाने हैं। इस हेतु **शालादर्पण पोर्टल पर स्टूडेट टैब के अन्तर्गत "लाभकारी योजनाओ के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" को संस्था प्रधान द्वारा अपडेट करना अनिवार्य होगा।**

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
3	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 8
4	केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
5	केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
6	केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
7	पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
8	केन्द्र प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
9	प्री–करगिल युद्धों में अर्थात 01.04.1999 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 12)
10	पोस्ट कारगिल युद्ध में अर्थात 01.04.1999 एवं इसके पश्चात युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 12)
11	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति प्रस्ताव प्रेषण हेतु तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है।

उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विद्यार्थियों से आवेदन पत्र नहीं लिया जाना है अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने है

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. पात्रता एवं शर्ते :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) **आयकर दाता न हो।**
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/– प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/– प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 06 व 8 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का कक्षोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
5. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

विवरण	दरें(अधिकतम 10 माह के लिए)	
	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृति/माह	100रुपये	500 रुपये

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	**अंतिम तिथि**
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी द्वारा किया जायेगा।**

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :(अनुसूचित जाति कक्षा 9 एवं 10)

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृति (वार्षिक)	3500	7000

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/ST(CSS)/2022–23/ दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्वमैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी द्वारा किया जायेगा।**

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :(अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 एवं 10)

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रूपये

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

D:\CSS\File\VIGYAPTI 2022-23 Anupam.docx

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्वमैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. छात्रवृत्ति प्राप्त करनें के लिए विद्यार्थी को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
5. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी द्वारा किया जायेगा।**

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

विवरण	दर (वार्षिक)
छात्रवृति राशि	4000/–

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	**अंतिम तिथि**
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अति पिछड़ा वर्ग का ही हो। (एम.बी.सी में 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया–लोहार,गाडोलिया 3. गूजर,गुर्जर 4राईका,रैबारी(देबासी) तथा 5.गडरिया(गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 06 व 10 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

(84)

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो। इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 01 व 12 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	1 से 12	180/– प्र.माह

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

85

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो। इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत हो व गत कक्षा में 55% अंक प्राप्त किये हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	कक्षा 11 एवं 12	100/– प्र.माह

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र–4 "क"

(प्री–करगिल (1.4.99 से पूर्व) एवं पोस्ट–करगिल (1.4.99 के पश्चात्) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम .....
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख .....
3. रैंक/यूनिट नम्बर .....
4. शहीद / स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे। .....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें । उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावे। .....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें) .....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है .....
8. विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता .....

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना
(सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र – ख)

क्रमांक :

दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पद.....
संख्या.....भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम.....
कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम.....तहसील.....
जिला..... के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

B3

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2022–23 दिनांक :

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति

1.पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का ही हो। इस हेतु स्थानीय निकाय/सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 01 व 10 में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी द्वारा किया जायेगा।**

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

DAYSCHOLARS

कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान
1 से 10	3500

HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान
3 से 10	8000

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**10.10.2022**

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

D:\CSS\File\VIGYAPTI 2022-23 Anupam.docx